न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :19/2018

अपीलान्ट्स

1. दमाराम पुत्र बिड़दाराम
2. धनाराम पुत्र बिड़दाराम
   जाति जाट, निवासीगण – पांचला खुर्द, गांव तलिया, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. प्रभुराम पुत्र बिड़दाराम
2. भीयाराम पुत्र किरपाराम
3. ओमाराम पुत्र किरपाराम
4. पुरखाराम पुत्र किरपाराम
   जातियान् जाट, निवासीगण – पांचला खुर्द, गांव तलिया, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0 आर0 एक्ट बविरूद्ध उप तहसीलदार (भू0 अ0नि0क्षे0) बालेसर म्युटेशन संख्या 930 निर्णय दिनांक 11.02.2008 के विरूद्ध।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रूघाराम चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– **17.07.2019**

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0 आर0 एक्ट बविरूद्ध उप तहसीलदार (भू0 अ0नि0क्षे0) बालेसर म्युटेशन संख्या 930 निर्णय दिनांक 11.02.2008 के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चिडवाई पटवार हल्का खुडियाला तहसील बालेसर जिला जोधपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 70/1 रकबा 36.06 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में खातेदार दमाराम, धन्नाराम पिता बिड़दाराम जाट खुड़ियाला के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। दिनांक 30.01.2008 को खातेदार दमाराम, धन्नाराम पिता बिड़दाराम जाट ने खसरा नं0 70/1 रकबा 36.06 बीघा कृषि भूमि का विक्रय विलेख रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पक्ष में निष्पादित किया गया। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 तक का 1/2 हिस्सा एवं शेष सम्पूर्ण हिस्सा विक्रेता अपीलांटस का बदस्तुर रहा, उक्त विक्रय विलेख के आधार पर तत्कालीन हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 930 भरते समय कॉलम संख्या 14 में यह अंकित किया कि '' बेचान जरिये रजिस्ट्री रूपये 50,000/– पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 75 पृष्ठ संख्या 157 क्रम संख्या 157 दिनांक 30.01.08 को पंजीयन उप पंजीयक बालेसर, में होने व मौके पर क्रेता का कब्जा होने पर नामान्तरकरण भरकर पेश है'', उक्त नामान्तरकरण को आर

आई चामू द्वारा सही का अंकन कर स्वीकृति हेतु उप तहसीलदार बालेसर के समक्ष पेश किया। जहां पर उप तहसीलदार बालेसर ने दिनांक 11.02.2008 को नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जबकि विक्रय विलेख में स्पष्ट लिख है कि विक्रय की गई 12.11 बीघा भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का 1/2 हिस्सा है जो तत्कालीन हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण भरते समय एवं अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भारी वाकीयाती भूल की है एवं विक्रेता को बिना नोटिस दिये नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार बालेसर से प्राप्त किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री सिद्धार्थ परिहार ने वकालतनामा पेश किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय के अनुसार अगर राजस्व रेकर्ड मे अमल–दरामद किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को ग्राम चिडवाई के खसरा नं0 70/1 में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 30.01.2008 को कुल 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को किया लेकिन पटवारी हल्का ने जरिये नामान्तरकरण संख्या 930 को खसरा नं0 70/1 की रकबा 36.06 बीघा का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व अपीलान्ट्स के नाम नामान्तरकरण भर दिया लेकिन वास्तव में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के अनुसार 12.11 बीघा भूमि का ही बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को किया गया है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है और तहसीलदार बालेसर को निर्देश है कि वह असल विक्रय विलेख के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही पुनः नियमानुसार करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।